२८/७/१८ पत्रावली पेश हुई। वादिनी अथवा वादिनी की ओर से कोई हाजिर नहीं है। बार-बार आवाजा लगवाई गई, बावजूद आवाज के भी कोई भी हाजिर नहीं आया। अतः वाद वादिनी अदम पैरवी अदम हाजरी के खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।